न्यायालय, सब जज–द्वितीय, डुमरॉव, बक्सर

टी0 एस0 सं0–374 / 2011

उमानाथ शर्मा वगैरह बनाम् देवनारायण शर्मा वगैरह

29.11.2024

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रस्तुत वाद वादी के तरफ से शपथ पत्र के साथ दिए गए आवेदन दिनांक–19.09.2023 आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 एवं प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–03.11.2023 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिववक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का अपने आवेदन पर कहना है कि प्रतिवादी सं0–6 मनकिया देवी की मृत्यु दिनांक–30.12.2022 को ग्राम+पो0–गंगौली में हो गई है जो कि वादीगण के निज ग्राम से लगभग 30 किलोमीटर की पूरी पर है। वादीगण वो प्रतिवादीगण अलग–अलग गॉव में निवास करते है इसलिए प्रतिवादी सं0–6 की मृत्यु की जानकारी वादीगण को समय–सीमा के अन्तर्गत नहीं हो सकी है। वादीगण द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन जान बूझकर विलम्ब से दाखिल नहीं किया गया है जो भी हुआ है जानकारी के अभाव में हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–6 मनकिया देवी का नाम वाद पत्र से कलमजद कर उनके जगह पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल कर कहना है कि मुदईयान का सवाल कानून एवं तथ्य की दृष्टि से मेन्टेनेबुल नहीं है। मुदईयान का सवाल तमादी है तथा जान बूझकर समय–सीमा के अंदर प्रतिस्थापन का सवाल दाखिल नहीं किये इसका मुख्य वजह है कि मुकदमे के निस्पादन में विलम्ब करने के लेहाज से विलेटेड स्अेज में प्रतिस्थापन का सवाल दिये है। प्रतिस्थापन आवेदन के साथ डिले कन्डोम करने का सवाल दिया गया है न तो स्पोटेड वार्ड अफिडेविट है वो न ही फेरीफायड है जिससे खारिज होने योग्य है। प्रतिस्थापन आवेदन में भी फेरीफिकेशन नहीं लिखा गया है। डिले कन्डोन करने का सफिसियेन्ट ग्राउण्ड नहीं है वो सवाल से यह भी पता नहीं चलता है कि मुदालेह सं0–6 के मृत्यु की जानकारी मुदईयान को कब हुई बल्कि मुदईयान मुदालेह संख्या 6 के मृत्यु की जानकारी मृत्यु के दिन ही हो गई वो उनके दाह संस्कार में सरीक हुए वो श्राद्ध में भी उपस्थित होकर अपना नेवता वगैरह दिये। जिससे उपरोक्त मुकदमा उपसमित होने लायक है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–19.09.2023 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि मुदालेह सं0–6 मनकिया देवी की मृत्यु दिनांक–30.12.2022 को हो चुकी है। वादी द्वारा दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन समय–सीमा के अन्तर्गत नहीं है। वादी द्वारा विलम्ब माफी का आवेदन दिया गया है जिस पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति किया गया है। वादी द्वारा शपथ पत्र से समर्थित आवेदन दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल विलम्ब माफी आवेदन को क्षम्य करते हुए मो0 200/–रू0 खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। पश्चात् प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वादी अधिवक्ता कार्यालय लिपिक के समक्ष मुदालेहम सं0–6 मनकिया देवी का नाम वाद पत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों गणेश शर्मा, महेश शर्मा, दिनेश शर्मा, अखिलेश शर्मा एवं गीता देवी का नाम प्रतिस्थापित करें। वादी अधिवक्ता प्रतिस्थापित प्रतिवादी के उपस्थिति हेतू अपेक्षिकाएं दाखिल करें। तत्पश्चात् कार्यालय नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–10.01.2025 वास्ते अपेक्षिकाएं दाखिल करे।

लेखापित

प्रभारी सब जज–द्वितीय, डुमरॉव।